संख्या:357/2021/2206/35-4-2021

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 05 दिसम्बर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-कानपुर देहात की विधानसभा क्षेत्र-अकबरपुर रनियां में निम्नलिखित कार्यों की रू. **241.46** लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **241.46** लाख (रूपये दो करोड़ इकतालिस लाख छियालिस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

	कार्य	**लम्बाई (मी0)**	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	राम-बरार के मजरा गुडसर में श्री किशन पाल के घर से रमाशंकर पाल के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	170	11.02	11.02
2	ग्राम-बरार के मजरा गुडसर में सोवरन के घर से घनश्याम दुबे के घर तक इंटरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य	100	6.22	6.22
3	ग्राम गारव का मजरा रविन्द्रपुर में शिवपूजन सूरदास के मकान से कमला भगत के घर की ओर इंटरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य	150	11.53	11.53
4	ग्राम तातमऊ में मेन रोड पुत्तू तिवारी के घर से शंकर वर्मा के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	90	5.32	5.32
5	ग्राम औंगी के मजरा नाला प्रतापपुर मेन रोड पत्तकर के दरवाजे से विनोद वर्मा के घर तक इंटरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य	200	12.01	12.01
6	ग्राम शोभन के मजरा हृदयपुर गोकुला में आनन्दर कठेरिया के घर से प्राथमिक वियालय तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	135	8.82	8.82
7	ग्राम रहनियापुर में छुन्ना दीक्षित के घर से नीलू शुक्लाे के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	155	7.79	7.79
8	ग्राम मोहम्मदपुर मे एन0एच0 24 से प्राइमरी स्कूंल की ओर इंटरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य	170	12.01	12.01
9	ग्राम-लहरापुर-कुंवर पाल के घर से भगवान दीन के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	70	3.63	3.63
10	ग्राम गौरियापुर में रामशंकर दिवाकर के घर से धोबिन कुआँ की ओर इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	120	9.02	9.02
11	ग्राम मटपुरवा में मास्टार ज्ञान सिंह के दरवाजे से सुनील श्रीवास्तव के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	62	2.63	2.63
12	ग्राम पतारी में केशव दीक्षित के घर से खलिहान (पंचायत घर) की ओर इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	150	11.86	11.86
13	ग्राम परनामिन पुरवा में चन्द्रयपाल के घर से उदयभान के घर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य	90	6.09	6.09

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
14	ग्राम खलीलपुर में जसवन्तर के घर से शिवजी के मन्दिर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य	50	3.62	3.62
15	ग्राम मसोथा में मिजाजी लाल पाल के घर से राम औतार पाल के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य	51	1.99	1.99
16	ग्राम बलभद्रपुर में सुनील के घर से राम गोपाल के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य	185	8.57	8.57
17	ग्राम बलभद्रपुर में राम गोपाल के घर से ब्रज किशोर के कूप तक सीसी रोड का निर्माण कार्य	70	4.90	4.90
18	ग्राम कुच्छी में पुत्ती लोहार के घर से रमेश प्रजापति के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	197	10.24	10.24
19	ग्राम संगसियापुर में ओमशंकर तिवारी के घर से दयाशंकर पाण्डेय के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	180	10.34	10.34
20	ग्राम संगसियापुर में राजा अवस्थीर के खेत से रूरा गौरियापुर मार्ग तक खडंजा रोड का निर्माण कार्य	206	4.43	4.43
21	ग्राम सूरजपुर में शिवली मैथा मेन रोड से सूरजपुर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	150	8.19	8.19
22	ग्राम टकटौली में मेन रोड से अनिल भदौरिया के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	113	12.14	12.14
23	ग्राम रूरवा हार में शिवपाल नागर के घर से आशा माई मन्दिर की ओर इंटरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य	160	10.45	10.45
24	ग्राम मुखलिसपुर में धर्मेन्द्रा पासवान के घर से नहर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य	120	5.83	5.83
25	ग्राम मुखलिसपुर में गंगाराम के घर से ओमकार के घर की ओर इंटरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य	150	11.12	11.12
26	ग्राम कमीर में अशोक तिवारी के घर से अरविन्द गौतम के घर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य	60	4.37	4.37
27	ग्राम बिगाही में सतोष के घर से शंकर के घर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य	85	6.11	6.11
28	ग्राम बलिहारा में जखाई बाबा मन्दिर से सन्तोष के घर की ओर इंटरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य	150	10.62	10.62
29	ग्राम दस्त मपुर में पुत्तदन के घर से सुबेदार के घर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य	150	9.92	9.92
30	ग्राम तहारपुर मैदू मेन हाई-वे से जसवंत (जगदीश) के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	170	10.67	10.67
	योग	**3909**	**241.46**	**241.46**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
10. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
11. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
12. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
13. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
16. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2022 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2022 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2022 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
18. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
19. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
20. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

21. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
22. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
23. प्रयोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
24. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
25. कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह 02 माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी एवं वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-236/दस-2021 दिनांकः 04 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:357/2021/2206(1)/35-4-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर देहात।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर देहात।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कानपुर देहात।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in